राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांकः 31.03.2021

आदेश

विषयः कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु 30.04.2021 तक की अवधि के लिये जांच–पहचान–उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol)गाइडलाईन्स की प्रभावी कियान्विति के क्रम में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 23.03.2021 द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिये जांच–पहचान–उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) गाइडलाईन्स जारी कर दी गई हैं।

अब तक के प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 5 महीनों तक सक्रिय कोविड–19 मामलों की संख्या में निरन्तर कमी दर्ज की गई है। हालांकि, कोविड–19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है। इस मोड़ पर कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित किये जाने की आवश्यकता है तथा शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि जांच–पहचान–उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) की सख्ती से कियान्विति की जाये तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की निष्ठापूर्वक अनुपालना की जाये तथा चालू टीकाकरण अभियान को सभी लक्षित समूह को कवर करने के लिये बढाया जाये।

राज्य में कोविड–19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिये राजस्थान राज्य में निम्नलिखित गाइडलाईन्स एतद्द्वारा जारी की जाती है।

जांच–पहचान–उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) की प्रभावी कियान्विति :–

A. आरटी–पीसीआर जांचें –

1. निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप प्रतिदिन की जाने वाली जांचों की कुल क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आरटी–पीसीआर जांच प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए सभी जिलों में समान रूप से जांचें संपादित की जा रही हैं एवं जिन जिलों में संक्रमण के प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनमें जांचें पर्याप्त संख्या में की जा रही हैं।

B. निगरानी (Track)–प्रभावी आइसोलेशन एवं संपर्क निगरानी

2. गहन जांचों के फलस्वरूप पाये गये संक्रमित मामलों को शीघ्रताशीघ्र आइसोलेट/क्वारंटीन करने की आवश्यकता है तथा उनके सम्पर्कों का जल्दी से जल्दी पता लगा कर आइसोलेट/क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन तथा ऐसे कंटेनमेंट जोन्स में निर्धारित कंटेनमेंट उपायों को लागू किया जाना आवश्यक है।

C. रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones) –

3- भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnerable and high incidence) क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन्स का प्रभावी सीमांकन संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय है। जहां कहीं आवश्यकता हो, **संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा माइक्रो लेवल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण किया जाकर नोटिफाई किया जायेगा।

4- कोई एरिया/अपार्टमेन्ट जहां 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है, उसे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। ऐसे कंटेनमेंट जोन्स की सूची को संबंधित जिला कलक्टर द्वारा वेबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा। ऐसी सूची को नियमित रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किया जायेगा।

5- कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित **कड़े प्रतिबंध उपायों** की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी।

A. कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावेगी।

B. कंटेनमेंट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

C. निगरानी हेतु गठित दलों द्वारा **सघन घर–घर निगरानी** सुनिश्चित की जायेगी।

D. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार **जांचें (Testing)** की जायेंगी।

E. ऐसे व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव पाये गये है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिये क्वारंटीन किया जायेगा। (80 प्रतिशत सम्पर्कों की 72 घंटे में पहचान आवश्यक है।)

F. ILI/SARI मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों में की जायेगी।

G. जिन जिलों में अधिकतम कोविड–19 पॉजिटिव मामलें रिपोर्ट किये जा रहे हैं, उनमें कन्टेनमेन्ट स्ट्रेटजी की सहायता के रूप में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले जनसंख्या आयु समूहों में टीकाकरण के सार्वभौमीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जावे।

H. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी।

6- संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।

D. उपचार (Treat)–

7- कोविड–19 के रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (होम आइसोलेशन गाइडलाईन्स की पूर्ति की शर्त पर) **तुरन्त आइसोलेट** किया जायेगा।

8- चिकित्सा विभाग हर दिन सभी संक्रमित मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी

प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल संक्रमित मामलों की निगरानी के लिये RajCovidInfo ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिये कि मरीज घर पर ही रहता है, तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidInfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा।

9- निर्धारित एव आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical Intervention) किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्धारित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से समझा गया है और उसके अनुसार प्रशासित किया जायेगा, को दृष्टिगत रखते हुए सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों की क्षमता संवर्द्धन हेतु सभी स्तरों पर सतत अभ्यास जारी रहेगा।

10- संबंधित ऐजेन्सीज मामलों के प्रक्षेपक (Trajectory) के मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त कोविड समर्पित स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक (एम्बूलेंस सहित) आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

11- उपचार सुविधाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पेशेवरों द्वारा प्रभावी संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों की अनुपालना की जायेगी।

E. स्थानीय प्रतिबन्ध (Local Restrictions) :

12 राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट परिस्थितियों का आंकलन करते हुए कोविड–19 के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जारी कर सकेंगे।

13 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यालयों में **सोशल डिस्टेसिंग** की अनुपालना कराया जाना आवश्यक होगा।

14 **जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा।**

15 सम्पूर्ण राज्य में **धार्मिक मेलों/उत्सवों एवं त्यौहारों** का आयोजन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 के संलग्न जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा धार्मिक गतिविधियों हेतु गठित कमेटी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार एवं राज्य सराकर से परामर्श कर विभिन्न मेलों एवं उत्सवों के आयोजन हेतु समुचित कदम उठायेगी।

16 a. नगरीय निकायों (कस्बों) में सभी बाजार रात्रि 9 बजे बंद कर दिये जायेंगे।

b. राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा, कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं आबूरोड में नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि **10 बजे से प्रातः 5 बजे** तक **रात्रि कालीन कर्फ्यू** रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगें। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 9 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।

c. तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगाः–

i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
iii. आई.टी. कम्पनियां।
iv. कैमिस्ट शॉप।
v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
vi. विवाह सम्बन्धी समारोह।
vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
viii. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
x. रेस्टोरेन्ट्स।

(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।)

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड–19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि कोई संस्था/संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था/संगठन को सील किया जायेगा।

F. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान :–

17. राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

ए. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

बी. **कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।**

सी. हालांकि, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आंकलन के आधार पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं।

सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा **नियमित कक्षाओं के लिए** शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी। सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के **50 प्रतिशत** से अधिक नही होगी। सभी सरकारी/निजी विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों/स्टाफ की **थर्मल स्क्रीनिंग** करना अनिवार्य होगा। विद्यालय जाने हेतु विद्यार्थियों को अपने माता–पिता/अभिभावकों से **लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

G. समारोह आयोजन (Gatherings) :

आयोजनों एंव वृत एकत्रीकरण की कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमति होगी :–

18. विवाह संबंधी आयोजन।

आयोजन कर्ता द्वारा:–

(ए) **उपखण्ड मजिस्ट्रेट** को पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। (प्राथमिकता से ई–मेल द्वारा)

(बी) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(सी) फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना की जायेगी।

(डी) **स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता** सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।

(ई) सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि को **बार–बार सेनेटाईज़** किया जायेगा।

(एफ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या **200** से अधिक नहीं होगी।

(जी) **विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।**

(एच) यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड–19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको सील कर दिया जाएगा।

19. **अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम** : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

20. **सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक/जन कार्यक्रमों** का आयोजन निम्न शर्तों के अधीन होगाः–

आयोजनकर्ता द्वाराः–

1. आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त को पूर्व में लिखित में सूचित (प्राथमिकता से ई–मेल द्वारा) किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :–

(i) **बंद स्थानों में** हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम **200** व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे।

(ii) **खुले स्थानों में**, मैदान/जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेगा।

तथापि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में **200** व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे।

3. सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

4. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "**नो–मास्क नो–एंट्री**" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. **स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता** सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
6. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की **बार–बार सफाई** की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है।

H. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) की सख्ती से पालना :–

21. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर, निम्न के अलावा, जो निश्चित प्रतिबन्धों के साथ अनुमत है, सभी अन्य गतिविधियां अनुमत होंगी :–

a. गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अर्न्तराष्ट्रीय हवाई यात्रा।
b. सिनेमा हॉल्स/ थियेटर / मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क एवं समान स्थान 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
c. **प्रदर्शनी हॉल** वाणिज्यिक विभाग, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन खोले जाने हेतु अनुमति होगी।

   (हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, **200** व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमत)

22. विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) निर्धारित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु गतिविधि वार एस.ओ.पी. की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जायेगा।
23. सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) को सख्ती से लागू करवाया जावेगा एवं वे कड़ाई से पालना कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

I. कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार :

24. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

a. **फेस मास्क पहनना** एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।

b. भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड़ को विनियमित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ. पी.) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे।

c. विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।

d. कोविड–19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशो की पूरे राज्य में कड़ाई से पालना कि जायेगी।

J. कोविड–19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश :

(Common Safety Directives for Covid-19 Management)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित **सामान्य सुरक्षा निर्देश** लागू रहेंगे:

25. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन दण्डनीय होगा :

a. **मुंह को ढकना (Face Covering):** सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।

b. **सामाजिक दूरी :** सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (''2 गज की दूरी'') बनाये रखेगा।

c. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

d. सार्वजनिक स्थानों पर **शराब, पान, गुटका, तम्बाकू** आदि का सेवन **निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है।

e. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

26. कार्य स्थलों में (At work places) :

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं:

a. **कार्यस्थलों पर (राजकीय, स्वायत्त शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जावे।**

b. **घर से कार्य (WfH)** : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।

c. **कार्य/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना :** कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/business hours)।

d. **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) :** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

e. **बार–बार सैनिटाईजेशन करना :** सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

f. **सामाजिक दूरी :** कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

g. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

27. दुकानों (Shops):–

ए. दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। **"नो मास्क नो सर्विस"** जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।

बी. यदि कोई दुकानदार **"नो मास्क नो सर्विस"** प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

K. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास (Movement of People/ Transport/ Passes):

28. राज्य के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि कोविड–19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से दिनांक 14.04.2021 तक अन्तर्राज्यीय यात्राऐं नहीं (avoid) करें।

29. वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

30. सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।

31. सिटी बसें (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।

32. किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही **सवारियों** की संख्या पंजीकृत वाहन की **स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं** होगी।

33. यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

34. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने

में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

a- सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वारा पर चेक–पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे।

b- महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

c- एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

L. भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह :
(Safety Advisory for Vulnerable Persons)

35. भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति–आवश्यक है कि वे समय–समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

M. आरोग्य सेतु एप का उपयोग :

36. संगत मोबाइल फोन पर सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आरोग्य सेतु का उपयोग जारी रखा जावे। यह समय पर उन व्यक्तियों को चिकित्सीय देखरेख के लिए सुविधा देगा जो जोखिम में हैं।

N. गाईडलाईन्स की सख्त अनुपालना :

37. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित कंटेमनेंट उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे।

38. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकायों की संयुक्त टीमें बनाकर एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) आदि की सख्त पालना की जा सके।

39. सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त जहां तक संभव हो, सीआरपीसी, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं।

इन उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

O. क्रियान्वयन मशीनरी:

40. विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।

9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	अपराध	शास्ति	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रेंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/–	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/–	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/–	
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5,000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	विवाह से सम्बन्धित समारोह आयोजन, जिसमें **200** से अधिक व्यक्ति हो।	25,000/–	
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/–	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी

9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यअवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।	10,000/–	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक 2. रीको ईकाई के प्रमुख
10.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना (विवाह अथवा अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार के अलावा) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना जिसमें:– *1- Closed Space में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम संख्या **200** व्यक्तियों से अधिक होने पर।* *2- Open Space (खुले स्थानों में) मैदान/स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम **200** व्यक्तियों से अधिक होने पर।* तथा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी की पालना नहीं किये जाने पर, फेस मास्क नहीं लगाने अथवा समुचित रूप से नहीं पहनने पर, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर।	10,000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी